

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 19(1)साप्र / 2/14

जयपुर, दिनांक 14 AUG 2014

—: आदेश :—

निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर निम्नानुसार शर्तों पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं —

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि
1	36 / 2013	श्रीमती सिराजुन्निसां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय कोषालय, शासन सचिवालय, जयपुर	एच-519, गांधीनगर	31.07.2040
2	63 / 2012	श्रीमती वन्दना बैरवा धर्मपत्नी स्व. श्री पृथ्वीराज बैरवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वित्त (नियम) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	एच-507, गांधीनगर	31.8.2036
3	45 / 2013	श्रीमती अनिता गोठवाल पत्नी स्व. श्री दिनेश गोठवाल सहायक कर्मचारी विधि (वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एच-565, गांधीनगर	31.1.2038

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
  - उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
  - सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
  - जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
  - स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कर्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
  - चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
  - सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
  - आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
    - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
    - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर्य नहीं किया है।
  - उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
- नोट:—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5.6.2014 के द्वारा श्रीमती छिगनी देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी एच-श्रेणी की वरियता संख्या 9/2006 के आधार पर आवंटित राजकीय आवास संख्या एच-565, गांधीनगर का निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने पर आवंटन निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुन्नालाल शर्मा 14/8/14  
(मुन्नालाल शर्मा)  
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आईडी संख्या एफ14005941 दिनांक 12.8.2014 के क्रम में।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वासा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त 6 की पालना को भी अमल में लावें।
9. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. अधिशाषी अभियन्ता, साठनिठिवी/जन स्वाठ अभिवी/जयपुर विविठनिगम लिंग, गॉधीनगर, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चर्चा करावें।
12. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

*मुन्नालाल शर्मा* 14/8/14  
सहायक शासन सचिव